न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(शिवचरण मीणा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 25 / 2022

प्रविष्टि दिनांकः— 21.11.2022

जुबी खानम पत्नि सईदउद्दीन गली कोर्ट साहब, अलीगंज, जिला टोंक राज.

.... अपीलाण्ट

बनाम

उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक

.... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक निर्णय दिनांक 03.08.2022 प्रकरण सं.21 / 2022—23

उपस्थितः (1) जुबी खानम, अपीलान्ट
(2) उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक

<u>निर्णय</u> **दिनांक 01.03.2023**

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार हैं कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, टोंक द्वारा आंगनबाडी केन्द्र सं. 52 कस्बा टोंक पर मानदेय कार्यकर्ता के पद पर शाहिस्ता परवीन के चयन को गलत बताते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक के यहां प्रस्तुत की गई। उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 03.08.2022 से अपील खारिज की। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलान्ट की बहस सुनी गई व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलान्ट की बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पुराना वार्ड नं. 11 नया वार्ड नं 39 व 40 आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 52 पर शाहिस्ता परवीन पत्नि मुजीब खान को जो चयन हुआ है वह नियमों के विपरित जाकर हुआ है जो बिल्कुल गलत है क्योंकि शाहिस्ता परवीन के पति मुजीब खान नाम पुराना वार्ड नं. 12 व नया वार्ड सं 40 की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

टोक नगर परिषद् की वोटरलिस्ट में नाम मौजूद है परन्तु शाहिस्ता परवीन का स्वयं का नाम पुराना वार्ड नं. 12 नया वार्ड नं. 40 टोंक नगर परिषद की वोटर लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है। इस सम्बन्ध मे पहली अपील दिनांक 08.07.2022 को उप निदेशक महिला बाल विकास महोदय टोंक के यहां की गई थी जिस पर उप निदेशक महिला बाल विकास महोदय टोंक ने मुझे अपने कार्यालय में दिनांक 02.08.2022 को बुलाकर मिटिंग करके मुझसे पूछा कि आपकी अपील क्या है, मैंने कहा कि शाईस्ता परवीन पत्नि मुजीब खान का आंगनबाडी केन्द्र का वार्ड नं. 52 पर किस आधार पर चयन किया गया है, और मेरा आवेदन पत्र किस तरह दूसरे वार्ड का बताकर निरस्त कर दिया गया है। जो दस्तावेज शाहिस्ता परवीन ने लगाये है वही दस्तावेज मैनें भी लगाए है। शाहिस्ता परवीन का नाम मतदाता सूची में नही हैं और न उनका पुराना वार्ड नं. 11 गड्डा पहाडिया का राशन कार्ड, आधार कार्ड और न जनआधार है इस बात को उपनिदेशक ने भी स्वीकार किया है तो फिर उनका आवेदन पत्र अन्य वार्ड का कहकर क्यों निरस्त नहीं किया गया है। शगुफता बेगम महिला पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का नाम वार्ड नं. 28 में संचालित आंगनबाडी केन्द्र संख्या 24 के सर्वे रजिस्टर के अनुसार परिवार कमांक 1 पर अंकित है। श्रीमति जुबी खानम का मतदाता प्रमाण पत्र एव बी. पी.एल., राशनकार्ड, वार्ड नं. 13 की निवासी पाए जाने के कारण श्रीमति जुबी खानम का आवेदन स्थानीय निवासी नहीं होने के कारण निरस्त किया गया है। शगुफता बेगम ने यह सर्वे कब किया 13.01.2022 से पहले या उसके बाद। पहले किया होगा तो मेरा नाम केन्द्र संख्या 24 के सर्वे रजिस्टर के अनुसार कमांक संख्या 1 पर अंकित है। शाईस्ता परवीन का भी सर्वे शगुफता बेगम ने किया गया जिसके अन्दर आंगनबाडी केन्द्र संख्या 20 के सर्वे रजिस्टर के परिवार संख्या 124 पर दर्ज है। यह केन्द्र संख्या नया वार्ड नं. 40 में आती है। यह रिपोर्ट पहले की है तो हम दोनों के आवेदन फार्म अन्य वार्ड का कहकर निरस्त होना चाहिए। अगर 13.01.2022 के बाद की है तो फिर मेरा नाम वरीयता सूची में होना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक के जवाब एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से ज्ञात होता हैं कि बाल विकास परियोजना अधिकारी टोंक शहर द्वारा सुनवाई के दौरान अवगत कराया गया है कि श्रीमति शगुफता बेगम महिला पर्यवेक्षक की रिपोर्ट अनुसार श्रीमति जूबी खानम पत्नि श्री सईदउद्दीन का नाम वार्ड नं. नया 28 में संचालित आंगनबाडी केन्द्र संख्या 24 के सर्वे रजिस्टर अनुसार परिवार कमांक 1 पर अंकित है। श्रीमति जूबी खानम का मतदाता पहचान पत्र एव बी.पी.एल. राशन कार्ड में वार्ड नं. 13 की निवासी होना पाये जाने के कारण श्रीमति जूबी खानम का आवेदन स्थानीय निवासी नहीं होने के कारण निरस्त किया गया ।

हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि महिला पर्यवेक्षक श्रीमति शगुफता बेगम की जांच रिपोर्ट अनुसार श्रीमति जूबी खानम पत्नि श्री सईदउद्दीन निवासी गली कोट साहब वार्ड नम्बर नया 28 केन्द्र संख्या 24 पर परिवार कमांक 1 पर अंकित है।

श्रीमति जूबी खानम का मतदाता पहचान पत्र एव बी.पी.एल. राशन कार्ड में वार्ड नं. 13 की निवासी होना पाया गया है। इस कारण श्रीमति जूबी खानम का आवेदन अन्य वार्ड का निवासी होने के कारण निरस्त किया गया । ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक का निर्णय दिनांक 03.08.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव चरण मीणा)
अति.जिला कलेक्टर,टोक